

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 41/2019 राजस्व अपील

1. रत्तीराम पुत्र श्री घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 8.2.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रत्तीराम प्रकरण सं. 122/2019 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक: 26.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा में अपीलान्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्त रत्तीराम पुत्र श्री घासी गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय ने सम्वत 2075 में ग्राम गांवडी में स्थित भूमि खसरा नं. 88 रकबा 0.40 है 0 किस्म चरागाह पर रबी की फसल कांशत कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये ही अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.02.2019 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्त ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलान्त ने



श्री. जिला कलक्टर
दौसा



प्रकरण संख्या : 41 / 2019 राजस्व अपील

कौनसी फसल काशत की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 08.02.2019 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत् 2075 में ग्राम गांवडी में स्थित भूमि खसरा नं. 88 रकबा 0.40 है0 किस्म चरागाह पर गेहूं की फसल काशत कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.02.2019 को बेदखल करने एवं एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत भूमि राजकीय चरागाह भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने सम्वत् 2075 में गेहूं की फसल काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 08.02.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 122/2019 उनवानी सरकार बनाम रत्तीराम में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2019 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।





(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा
दौसा